



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 3, 2001/आश्विन 11, 1923

No. 728]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 3, 2001/ASVINA 11, 1923

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2001

का. आ. 988(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 114(अ) तारीख 20 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के द्वारा तटीय क्षेत्र को तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित किया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापित करने और उनके विस्तार, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और अंडमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उक्त राज्य क्षेत्र के तटीय विनियमन क्षेत्र में बालू के खनन पर लगे निर्बंधन के कारण स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सहन की जा रही कठिनाईयों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकृष्ट किया था;

और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस मुद्दे की जांच की गई है और उसकी यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) में यह उपबंध है कि उपनियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कहीं केन्द्रीय सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह उक्त नियम के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त कर सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह आवश्यक है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा को समाप्त कर दिया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में,—

(क) पैरा 2 के उप पैरा (ix) के परन्तुक में,—

- (i) "30 सितम्बर, 2001" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2002" शब्द और अंक रखे जाएंगे; और
- (ii) "2000-2001 और 2001-2002 वार्षिक योजनाओं की अपेक्षाओं" शब्दों, और अंकों के स्थान पर "2001-2002 और 2002-2003 वार्षिक योजनाओं की अपेक्षाओं" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

(ख) उपबन्ध 1 में, 'तटीय विनियमन जोन 4 अंडमान और निकोबार द्वीप' शीर्षक में, मद (iv) की उपमद (ख) में, "30 सितम्बर, 2001" शब्दों और अंकों के स्थान पर "30 सितम्बर, 2002" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. जैड-12011/2/96-आई.ए. III]

डा. वी. राजगोपालन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ. 114(अ) तारीख 20 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया;

- (i) का.आ. 595(अ), तारीख 18 अगस्त, 1994
- (ii) का.आ. 73(अ), तारीख 31 जनवरी, 1997
- (iii) का.आ. 494(अ), तारीख 9 जुलाई, 1997
- (iv) का.आ. 334(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1998
- (v) का.आ. 873(अ), तारीख 30 सितम्बर, 1998
- (vi) का.आ. 1122(अ), तारीख 29 दिसम्बर, 1998
- (vii) का.आ. 988(अ), तारीख 19 सितम्बर, 1999
- (viii) का.आ. 730(अ), तारीख 4 अगस्त, 2000
- (ix) का.आ. 900(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2000

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2001

S.O. 988(E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests number S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas, the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands Administration had drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people due to restrictions on mining of sand in the Coastal Regulation Zone in the said territory;

And whereas, the issue has been examined by the Central Government and is of the opinion that it is necessary and expedient in public interest to amend the said notification;

And whereas, sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that notwithstanding anything contained in sub-rule (3), wherever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rules;

And whereas, the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment

(Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendment in the said notification, namely:-

In the said notification,—

- (a) in paragraph 2, in sub-paragraph (ix), in the proviso,—
 - (i) for the figures, letters and words “30th day of September, 2001”, the figures, letters and words “30th day of September, 2002” shall be substituted; and
 - (ii) for the words and figures “requirements of 2000-2001 and 2001-2002 annual plans” the words and figures “requirements of 2001-2002 and 2002-2003 annual plans” shall be substituted.
- (b) in Annexure-I, in the heading - ‘Coastal Regulation Zone-IV Andaman and Nicobar Islands’, in sub-item (b) of item (iv), for the figures, letters and words “30th day of September, 2001” the figures, letters and words “30th day of September, 2002” shall be substituted.

[No. Z-12011/2/96-IA-III]

Dr. V. RAJAGOPALAN, Jt. Secy.

NOTE: The principal notification was published in the Gazette of India vide number S.O. 114 (E), dated the 19th February, 1991 and subsequently amended vide:—

- (i) S.O. 595(E) dated 18th August, 1994
- (ii) S.O. 73(E) dated 31st January, 1997
- (iii) S.O. 494(E) dated 9th July, 1997
- (iv) S.O. 334(E) dated 20th April, 1998
- (v) S.O. 873(E) dated 30th September, 1998
- (vi) S.O. 1122(E) dated 29th December, 1998
- (vii) S.O. 988(E) dated 19th September, 1999
- (viii) S.O. 730(E) dated 4th August, 2000
- (ix) S.O. 900(E) dated 29th September, 2000

